कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्या.) महानगर इंदौर म0प्र0

क्रमांक-पुउ/इं/मुख्या./रनि./1750/2022 दिनांक- 02/05/2022

सीमित निविदा विज्ञप्ति

शीर्ष 4055-पूंजी अनुभाग-207 राज्य पुलिस 3680 पुलिस मुख्यालय 63-002 मशीन एवम उपकरणों का क्रय मद से कूलर क्रय किये जाने हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। सीमित निविदा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपस्थित फर्म के प्रतिनिधियो के समक्ष खोली जाएगी। सीमित निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने वाले सभी प्रतिनिधियो को उपस्थित रहना अनिवार्य है। सीमित निविदा प्रपत्र दस्तावेज व्यक्तिगत रुप से कार्यालय मे निर्धारित समय सीमा मे जमा किया जाए। निर्धारित समय उपरान्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

क्र.	मद संख्या व मद का नाम	कार्य का विवरण
1.	शीर्ष 4055-पूंजी अनुभाग-207 राज्य पुलिस 3680 पुलिस मुख्यालय 63-002 मशीन एवम उपकरणों का क्रय मद	कूलर क्रय हेतु (70 लीटर)

1.कूलर-स्पेसिफिकेशन अनुसार क्रय किया जाना है जो संलग्न है ।

2. सीमित निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 10/05/22 समय 16:00 बजे तक है (कार्यलीन समय मे शासकीय अवकाश के दिनो को छोडकर)

3. सीमित निविदा प्रस्तुत हेतु तीन से अधिक पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओ से निविदा प्राप्त करना आवश्यक है।

4. निविदा मे प्रस्तुत अनुमानित राशि मे जीएसटी सम्मिलित है।

5. निविदा खोलने की अंतिम तिथि 11/05/22 समय 16:00 बजे

6. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि को निविदाकर्ता के समक्ष खोली जाएगी। अतः निविदाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है

7. निविदा सीलबंद लिफाफे मे कार्यालय रक्षित निरीक्षक,रक्षित केन्द्र इंदौर मे निविदा जारी होने के दिनांक से अंतिम तिथि तक कार्यालयीन समय 10:00 से 17:00 बजे तक प्रस्तुत करे एवं लिफाफे के ऊपर बडे अक्षरो मे सीमित निविदा अवश्य लिखे।

8. निविदा की दरे निविदा खोलने के दिनांक से 90 दिवस तक वैध रहेगी।

. प्रदाय अवधि का विस्तार एक बार ही किया जावेगा जो अधिकतम 07 दिवस रहेगी। यदि निर्धारित अवधि /विस्तारित अवधि मे भी अपूर्ण कार्य पूर्ण नही किया जाता है तो शेष कार्य का क्रयादेश निरस्त माना जायेगा।कार्यादेश के भुगतान मे से अप्रदायित कार्य के मूल्य की 02 प्रतिशत पेनल्टी कार्य की देयक से काटी जायेगी।

10. निविदाकर्ता का ईपीएफ रजिस्ट्रेशन,ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन,जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

11. देयक 03 प्रतियो मे पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जिला इंदौर के नाम से भेजा जावें।

12. देयक की राशि का भुगतान हेतु फर्म का खाताधारक का नाम,खाता क्रमांक,बैंक का नाम,आईएफएससी अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जावें।

13. विभाग द्वारा किसी प्रकार का वहन नही किया जाएगा।

14. कार्य देयको का भुगतान म.प्र. शासन आदेश के अंन्तर्गत किया जायेगा। जीएसटी की राशि निविदा मूल्य मे शामिल रहेगी अतः बिलो की जीएसटी जमा कर जमा पर्ची कार्यालय को उपलब्ध कराये।

15. किसी भी समय शर्तो मे संशोधन करने अथवा निविदा निरस्त करने अथवा कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जिला इदौर के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जिला इंदौर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा

पुलिस उपायुक्त
(मुख्यालय) जिला इंदौर